Appendix X

CERTIFICATE OF LAND

File No. Date:

Certified that the land measuring **10117.14 (Area of land in Square meters)** is owned by the **Sh. Leelu Ram S/o Sh. Sultan S/o Sh. Hari Ram** by way of Jamabandi , Allotment (In case of allotment of land, if it is not perpetual, periodicity of allotment to be mentioned from __________ to __________).

It is further certified that owner of the land has leased the said land to lease **Global Educational Welfare Society** (Name of the School/Society/Trust/Company under Section 8 of companies Act, 2013) fully described in the schedule mentioned hereinafter with the following details for a period of 20 years from 19/05/2017 to 18/05/2037 .

SL	Particulars	Details
1.	Plot No. (s)/ Survey No. (s)/Khasra No. (s)/Khata No.(s)/Khatauni No.(s)	Khewat No. 201 Khatuni No. 271 and Khasra No. 150 Rakba $\frac{11}{2}$(5-7) $\frac{12}{2}$ (1-10)19(8-0)20(5-3) 20 Kanal 0 Marla
2.	Name of street/village, Sub Division, District and State	Village – Odhan, Kalanwali, District – Sirsa (Haryana)

It is certified that the said entire land comprise of a single contiguous plot of land. It is further certified that **M. M. MEMORIAL PUBLIC SR. SEC. SCHOOL** with name of village Odhan, District –Sirsa,Tehsil- Kalanwali run by name of **Global Educational Welfare Society** (Society / Trust / Company under Section 8 of companies Act, 2013) is located on the said plot of land.

THE SCHEDULED OF LAND ABOVE REFERRED TO

All that piece and parcel of land measuring 10117.14(area of land in square meters) situated in Khewat No. 201 Khatuni No. 271 and Khasra No. 150 Rakba $\frac{11}{2}$ (5-7) $\frac{12}{2}$ (1-10) 19 (8-0) 20 (5-3) (20 Kanal 0 Marle) at Village- Odhan Kalanwali District- Sirsa, (Haryana) and bounded as follows:

North : Street
East : Agriculture Land
West : Agriculture Land
South : Agriculture Land

DM/ ADM/ SDM/ TEHSILDAR/ NAIB TEHSILDAR/ REGISTRAR/ SUB-REGISTRAR/EQUIVALENT LAND AUTHORITY

श्रीमान जी,
जमाबन्दी वर्ष 2016-17 गांव मौजे-ओढां की खेवट नं-201 -खतौनी नं 271 के खसरा 150 11/2-12/2-19-20, रकबा 20-0 में मौका पर स्कूल बना हुआ है रिपोर्ट पेश है

As per Report Pat

C/S

तहसीलदार
कालांवाली
3/11/022

(Stamp and Signature of the land authority)
(Name of Officer)

(Name of District)

Non Judicial

Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government

Date : 19/05/2017

Certificate No. UAS2017E8

GRN No. 27060115

Stamp Duty Paid : ₹ 3600
(Rs Only)

Penalty : ₹ 0
(Rs Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Sultan

H.No/Floor : 0 Sector/Ward : 0 LandMark : 0

City/Village : Odhan District : Sirsa State : Haryana

Phone: 0

Buyer / Second Party Detail

Name : Global educational welfare Society

H.No/Floor : 0 Sector/Ward : 0 LandMark : 0

City/Village: Odhan District : Sirsa State : Haryana

Phone : 0

Purpose : Lease deed

1564

793

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website https://egrashry.nic.in

पट्टानामा अराजी

मियादी 20 वर्ष 19-05-2017 ता 18-05-2037

50,000/- रूपयें सालाना

वाका गांव औढा

तहसील डबवाली

रकबा 20 कनाल 0 मरलें

स्टाम्प मालियती 3600/- रुपयें

Certificate No. UAS 2017 E8

Date. 19/05/2017

नोट :- जो पट्टा में हर पांच साल जर पट्टा में 10% बढोतरी होती जायेगी और बढोतरी के अनुसार 60,000/- रूप्ये पर स्टाम्प लगाया गया हैं।

19/5/17

मिकर/द्वितिय पक्ष सुमन देवी (President)

सुमन देवी

मिकर/प्रथम पक्ष.......2

सुल्तान

प्रलेख नः 793 दिनाँक 19/05/2017

डीड सबंधी विवरण

डीड का नाम LEASE

तहसील/सब तहसील डबवाली

गांव/शहर औढ़ा

धन सबंधी विवरण

राशि जिस पर स्टाम्प डयूटी लगाई 50,000.00 रुपये

स्टाम्प डयूटी की राशि 3,600.00 रुपये

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 500.00 रुपये

पेस्टिंग शुल्क 2.00 रुपये

Drafted By: ताराचन्द

Service Charge: 200.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनांक 19/05/2017 दिन शुक्रवार समय 3:22:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी सुलतान पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी हरीराम निवासी औढां त0 मन्डी डबवाली द्वारा पँजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

सुलतान

उप / सयुंक्त पँजीयन अधिकारी
डबवाली

Sub Registrar
DABWALI

उपरोक्त पटटा देने वाला व श्री/श्रीमती/कुमारी सुमन देवी प्रधान पटटा लेने वाला हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यो को दोनो पक्षो ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनो पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी रणधीर सिह नमबरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी औढां त0 मन्डी डबवाली व श्री/श्रीमती/कुमारी गौरव कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी मुलखराज निवासी औढां त0 मन्डी डबवाली ने की। साक्षी नः 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी नः 2 की पहचान करता है।

दिनांक 19/05/2017

सुलतान

उप / सयुंक्त पँजीयन अधिकारी
डबवाली

Sub Registrar
DABWALI.

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकृत वसीका की स्कैन प्रति jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है

सीमू राम   सुमन देवी   गौरव कुमार

उप / सयुंक्त पँजीयन अधिकारी
डबवाली

Sub Registrar
DABWALI

रुबरु एस आर निल

हम- **सुलतान पुत्र हरीराम पुत्र आदराम - लीलु राम पुत्र सुलतान पुत्र हरीराम निवासीगण गांव औढॉ तहसील डबवाली जिला सिरसा (प्रथम पक्ष) वा GLOBAL EDUCATIONAL WELFARE SOCIETY, GT Road Near Hanuman Mandir, VPO Odhan Distt Sirsa बजरिया प्रधान** (President) **सुमन देवी पत्नी रोहताश कुमार पुत्र मदन लाल** रकबा गांव औढॉ तहसील डबवाली जिला सिरसा अराजी खेवट नम्बर 177 मिन खाता नम्बर 247 किते 35. रकबा तादादी 213 कनाल 11 मरलें का 400/4271 भाग बकदर **20 कनाल 0 मरलें** (11/2 (5–7) 12/2 (1-10) 19 (8-0) 20 का (5-3)) मलकीयती वा मकबूजा **सुलतान पुत्र हरीराम पुत्र आदराम 280/4271 भाग, लीलु राम पुत्र सुलतान पुत्र हरीराम 120/4271** (प्रथम पक्ष) बरूये फर्द जमाबन्दी साल 2011-2012 बिला वार हैं। उक्त रकबा को मुन्तकिली करने में कोई अडचन कानुनी या वाकयाती ना हैं। उक्त रकबा पर कोई स्टे ना हैं व ना ही उक्त रकबा की बाबत कोई केस आदि अदालत में चल रहा हैं वा अगर होगा तो प्रथम पक्ष जिम्मेवार होगे। लिहाजा प्रथम पक्ष ने अपना उक्त मलकीयती रकबा तादादी **20 कनाल 0 मरलें** को 20 साल के लिए दिनांक 19-05-2017 ता 18-05-2037 तक 50,000/-(पचास हजार रूपयें) बिल मुक्ता सालाना हर पांच साल बाद 10% बढोतरी की दर से द्वितिय पक्ष (GLOBAL EDUCATIONAL WELFARE SOCIETY) उक्त को निम्न शर्तो पर पट्टा पर दे दी हैं:-

1- यह है कि पहले साल का जर पट्टा मुबलिग 50,000/-(पचास हजार रूपयें) प्रथम पक्ष ने द्वितिय पक्ष(GLOBAL EDUCATIONAL WELFARE SOCIETY) से नगद वसूल पा लिए हैं वा कब्जा अराजी मजकूरा का मौका पर द्वितिय पक्ष को संभाल दिया हैं। अब द्वितिय पक्ष (GLOBAL EDUCATIONAL WELFARE SOCIETY) प्रत्येक साल 1 नवम्बर को जर पट्टा 5000/- रूपयें प्रथम पक्ष को अदा करता रहेगा वा रसीद लेता रहेगा, बिना रसीद उजर अदायगी काबले गौर ना होगी।

मिकर/द्वितिय पक्ष सुमन देवी (President) | मिकर/प्रथम पक्ष.......2

सुमन देवी | सुलतान

लीलु राम

2- यह है कि द्वितिय पक्ष (GLOBAL EDUCATIONAL WELFARE SOCIETY) उक्त रकबा पर स्कूल चलनें के लिए प्रयोग कर सकता हैं वा स्कूल के लिए जरूरी तामीर हर किसम जैसे बिलडिंग, दफतर, पुस्तकालय, खेल परिसर आदि बना सकेगा। जिस पर प्रथम पक्ष का कोई एतराज ना होगा।

3- यह है कि द्वितिय पक्ष (GLOBAL EDUCATIONAL WELFARE SOCIETY) उक्त रकबा मे अपनी इच्छा अनुसार निर्माण कर सकेगा, नकशा पास करवा सकेगा व कनैक्शन बिजली, पानी आदि अपने नाम पर जारी करवा सकेगा, प्रथम पक्ष का कोई एतराज ना होगा।

4- यह है कि द्वितिय पक्ष (GLOBAL EDUCATIONAL WELFARE SOCIETY) किसी भी विभाग/ शिक्षणबोर्ड (BSEH/CBSE/ICES OR International Level) से मान्यता/Affilation लेने के लिये वा अन्य कार्यों के लियें तमाम कार्यवाही जो जरूरी होगी कर सकेगा, प्रथम पक्ष का कोई एतराज ना होगा।

5- यह है कि ता मियाद पटटा कब्जा उक्त भूमि का द्वितिय पक्ष (GLOBAL EDUCATIONAL WELFARE SOCIETY) के पास रहेगा वा मियसद खत्म होने के बाद कब्जा प्रथम पक्ष के हक में छोड देगा । दोनों पक्षों की सहमति से पटटा की मियाद को आगे बढाया जा सकता है।

6- यह है कि अगर द्वितिय पक्ष (GLOBAL EDUCATIONAL WELFARE SOCIETY) प्रत्येक वर्ष जर पट्टा प्रथम पक्ष को अदा नहीं करेगा तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वो रकबा का कब्जा द्वितिय पक्ष से वापिस ले लेवे वा प्रथम पक्ष को यह भी अधिकार होगा कि वो बजरिया अदालत जर पट्टा वसूल करे हर प्रकार के हर्जा खर्चा की अदायगी की जिम्मेवारी द्वितिय पक्ष (GLOBAL EDUCATIONAL WELFARE SOCIETY) की होगी।

<u>मिकर/द्वितिय पक्ष सुमन देवी (President)</u> <u>मिकर/प्रथम पक्ष..........3</u>

सुमन देवी

सुलतान

सोमेराम

6- यह है कि अगर द्वितिय पक्ष (GLOBAL EDUCATIONAL WELFARE SOCIETY) प्रत्येक वर्ष जर पट्टा प्रथम पक्ष को अदा नहीं करेगा तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वो रकबा का कब्जा द्वितिय पक्ष से वापिस ले लेवे वा प्रथम पक्ष को यह भी अधिकार होगा कि वो बजरिया अदालत जर पट्टा वसूल करे हर प्रकार के हर्जा खर्चा की अदायगी की जिम्मेवारी द्वितिय पक्ष (GLOBAL EDUCATIONAL WELFARE SOCIETY) की होगी।

7- यह है कि उक्त पटटानामा के आधार पर बिल बिजली, पानी वा अन्य भारों की अदागी की जिम्मेवारी द्वितिय पक्ष (GLOBAL EDUCATIONAL WELFARE SOCIETY) की ता मियाद पटटा रहेगी

8- यह है कि उक्त रकबा का इन्तकाल पट्टानामा अगर दौनों पक्षों की गैर हाजरी में दर्ज वा मन्जूर कर दिया जावे तो किसी भी पक्ष का कोई उजर वा एतराज ना होगा। खर्चा वसीका हर किस्म दोनों पक्षों ने आधा - आधा लगाया हैं।

लिहाजा यह वसीका पट्टानामा अराजी हमनें अपनी खुशी से वा आपसी सहमति से

करवा दिया हैं ताकि सनंद रहे वा समय पर काम आवें। दिनांक 19.05.2017

यह नकल मुताबिक असल के सही हैं।

मिकर/द्वितिय पक्ष सुमन देवी (President)

(GLOBAL EDUCATIONAL WELFARE SOCIETY)

सुमन देवी

मिकर/प्रथम पक्ष

सुलतान

सुलतान

लीलु राम

लीलु राम

गवाह-1

रणधीर सिंह नम्बरदार

गांव औढा

रणधीर सिंह

गवाह-2

गौरव कुमार पुत्र मुलख राज

निवासी गांव औढा

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
793	2017-2018	1

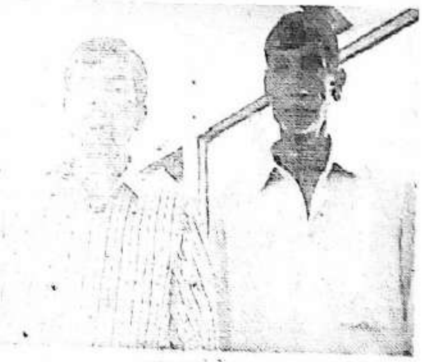

पटटा देने वाला

पटटा लेने वाला

गवाह

पटटा देने वाला	सुलतान		सुलतान
पटटा देने वाला	लीलु राम		लीलूराम
पटटा लेने वाला	सुमन देवी प्रधान		सुमन देवी
गवाह	रणधीर सिह नमबरदार		रणधीर सिंह
गवाह	गौरव कुमार		

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख कमांक 793 आज दिनॉक 19/05/2017 को बही न: 1 जिल्द न: 258 के पृष्ठ न: 85 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द न: 5,340 के पृष्ठ सख्या 23 से 24 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

दिनांक 19/05/2017

उप / सयुंक्त पंजीयन अधिकारी
डबवाली

Sub Registrar
DABWALI